न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः— 159/प्रा0पत्र/2025 दायरा दिनांक :—12.06.2025

GCMS ID-2025/196

बउनवान

1. शिवजीलाल आयु 65 वर्ष पिता श्री भंवरलाल जाति मीणा निवासी ग्राम उमर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज०

प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी राज.

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :— राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत वास्ते इंद्राज दुरस्ती।

वकील प्रार्थी :— श्री गोविन्द झंवर

वकील अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार।

निर्णय दिनांक :— 12/02/2026

उपरोक्त विषय में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि कृषि भूमि खाता संख्या 390 की कृषि भूमि ख.स. 1082, 1083, 953, 964, 966, 978, 979, 980, 982, 985, 986, 988 कुल किता 14 कुल रकबा 2.5737 हैक्टेयर वाके ग्राम उमर पटवार हल्का उमर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज० मे स्थित है व खाता संख्या 391 ख.स. 1088 कुल किता 1 कुल रकबा 0.0486 हैक्टयेर व खाता संख्या 325 ख.स. 977 रकबा 0.0324 हैक्टयेर कुल किता 1 कुल रकबा 0.0324 हैक्टयेर वाके ग्राम उमर पटवार हल्का उमर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि में प्रार्थी का नाम शिवजीलाल पुत्र भूरा दर्ज है जो अशुद्व एवं गलत है जबकि वास्तविक रूप से प्रार्थी का नाम शिवजीलाल पुत्र भंवरलाल है। प्रार्थी के सभी सरकारी दस्तावेजात जिनमे फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, पेनकार्ड, भूतपूर्व सैनिक पहचान पत्र, बैंक पासबुक, विद्यालय की टी.सी. में प्रार्थी का नाम शिवजीलाल पिता भंवरलाल ही दर्ज है लेकिन राजव्व रिकोर्ड यानि प्रार्थना पत्र की चरणसंख्या 1 में वर्णित भूमि में प्रार्थी का नाम शिवजीलाल पुत्र भूरा

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

दर्ज हो गया है जो राज राजस्व कर्मचारियो की त्रुटिवश हुआ है कानूनन राजस्व रिकोर्ड में नाम दर्ज करने से पूर्व राजस्व कर्मचारियो को मबजे आम मे पुछताछ करनी चाहिऐ व प्रार्थी को भी सुना जाना चाहिऐ। लेकिन राजस्व कर्मचारियो ने प्रार्थी को सुने बिना ही प्रार्थी का नाम शिवजीलाल पुत्र भूरा दर्ज कर दिया गया है उक्त इन्द्राज प्रार्थी के हितो के विपरित है। प्रार्थी के सभी दस्तावेजो में नाम शिवजीलाल पुत्र भंवरलाल होने से राजस्व रिकोर्ड मे प्रार्थी का नाम शिवजीलाल पुत्र भूरा अंकित होने से प्रार्थी उक्त भूमि पर राज्य सरकार द्वारा कुषि भूमि पर दी जा रही सुविधाओ का लाभ नहीं उठा पा रहा है। क्योकि जब तक पहचान के दस्तावेजात व राजस्व रिकोर्ड में प्रार्थी का नाम समान रूप से सही नहीं होगा तब तक प्रार्थी को किसी भीयोजना का कोई लाभनही मिल पायेगा और न ही प्रार्थी को लाभ दिया जा रहाहै, राजस्व रिकोर्ड मे शिवजीलाल पुत्र भूरा दर्ज होने व अन्य सभीसरकारी दस्तावेजो में शिवजीलाल पुत्र भंवरलाल दर्ज होने से प्रार्थी किसी भी योजना का लाभ नहीं उठा पा रहा है जिससें प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति हो रही है। प्रार्थी ग्रामीण परिवेश का वृद्ध व कमजोर व्यक्ति है जो कानूनी पैचेदगियो को नही समझता है, प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि पर प्रधानमंत्री किसान समाननिधि योजना मे आवेदन किया तो आवेदन पश्चात पिता के नाम मे त्रुटि होने से प्रार्थी प्रधानमंत्री किसान समान निधि योजना का लाभी नहीं उठा पारहा है तब प्रार्थी ने तहसीलदार साहब हिण्डोली के यहा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकोर्ड मे प्रार्थी का सही नाम दर्ज करने का अनुरोध किया लेकिन तहसीलदार साहब ने नाम दुरूत करने से इन्कार कर दिया और कहा कि इन्द्राज दुस्ती का अधिकार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हो है ऐसी स्थिति में न्यायालय से आदेश लाये बिना हम उक्त नाम के इन्द्राज नही कर सकते तहसीलदार साहब द्वारा इन्द्राज दुरूस्ती के लिये इन्कार कर देंने से प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का कारण उत्पन्न हुआ है। श्रीमान को लेण्ड रिकोर्ड ऑफिसर की हैसियत से इन्द्राज को दुरूस्त करने का अधिकार प्राप्त है। वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम उमर पटवार हल्का उमर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज० में स्थित होने से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क व तलबाने पर प्रस्तुत है। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खाता संख्या 390 खातेदार प्रार्थी शिवजीलाल के नाम का इन्द्राज दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था किन्तु प्रार्थना पत्र मे खाता संख्या 391, 325 की भूमि का सहवन वश अंकन होने से छुट गया था। इसलिये संशोधित शीर्षक श्रीमान के समक्ष पेश किया जा रहा है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि खाता संख्या 390 की कृषि भूमि ख.स. 1082, 1083, 953, 964, 966, 978, 979, 980, 982, 985, 986, 988 कुल किता 14 कुल रकबा 2.5737 हैक्टेयर व खाता संख्या 391 ख.स. 1088 कुल किता 1 कुल रकबा 0.0486 हैक्टयेर व खाता संख्या 325 ख.स. 977 रकबा 0.0324 हैक्टयेर कुल किता 1 कुल रकबा 0.0324 हैक्टयेर वाके ग्राम उमर पटवार हल्का उमर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी मे प्रार्थी के गलत नाम के इन्द्राज को दुरूस्त कर शिवजीलाल पुत्र भूरा के स्थान पर प्रार्थी का नाम शिवजीलाल पुत्र भंवरलाल दर्ज किये जाने की (घोषणा) आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

प्रकरण में अप्रार्थी तहसीलदार हिण्डोली की जॉच रिपोर्ट पत्रांक :–राजस्व / 25 / 2882 दिनांक :– 08.10.2025 के अनुसार मुताबिक ग्राम उमर प0म0 उमर के खाता संख्या 390, 391, 325 में प्रार्थी का नाम शिवजीलाल पुत्र भूरा सहखातेदार के रूप में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। मजमा–ए–आम में प्राप्त जानकारी व ग्रामवासियों / सहखातेदारान अनुसार उक्त खाता नम्बर में दर्ज शिवजीलाल पुत्र भूरा व शिवजीलाल पुत्र भंवरलाल एक ही व्यक्ति के नाम होने से रिकॉर्ड में शिवजीलाल पुत्र भूरा के स्थान पर प्रार्थी का शुद्ध नाम शिवजीलाल पुत्र भंवरलाल दर्ज किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी को उक्त भूमि विरासत से प्राप्त हुई।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम शिवजीलाल पुत्र भंवरलाल है जिसे मुताबिक प्रार्थना पत्र के दुरूस्त किए जाने का कथन किया गया।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि "भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।"

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एंव तहसीलदार हिण्डोली से प्राप्त जॉच रिपोर्ट व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

...र ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र, पेन कार्ड, बैंक खाता डायरी पेश किए है जिसमें प्रार्थी का सही नाम शिवजीलाल पुत्र भंवरलाल है। प्रकरण में जॉच रिपोर्ट तहसीलदार हिण्डोली द्वारा भी प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर भूमि वाके ग्राम उमर प0मं0 उमर के **खाता संख्या 390, 391, 325** में दर्ज प्रार्थी के नाम शिवजीलाल पुत्र भूरा के स्थान पर शिवजीलाल पुत्र भंवरलाल शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :–12.02.2026 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

12/02/2026

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)